संख्या-543/2022/4032/41-2022-196 (सा0)/2022

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 09 नवम्बर, 2022**

विषयः-लखनऊ एवं कपिलवस्तु (जनपद सिद्धार्थनगर) में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हैलीकॉप्टर सेवा संचालन पी0 पी0 पी0 मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-3439/एसएस/हेलीपोर्ट-लखनऊ/44 दिनांक 16 अगस्त, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लखनऊ एवं कपिलवस्तु (जनपद सिद्धार्थनगर) में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हैलीकॉप्टर सेवा संचालन पी0 पी0 पी0 मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. अवगत कराना है कि जनपद लखनऊ प्रदेश की राजधानी होने के साथ ही साथ यहॉ स्थित मुख्य पर्यटन स्थलों/आकर्षणों और पर्यटन सम्भावनाओं के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने एवं पर्यटन के क्षेत्र में हेलीपोर्ट के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ में हेलीपोर्ट के संचालन तथा कपिलवस्तु (जनपद सिद्धार्थनगर) का महात्मा बुद्ध के जीवन से घनिष्ट सम्बन्ध होने के कारण एवं महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी के नजदीक होने के कारण कपिलवस्तु में लाखों की संख्या में बौद्ध धर्म से जुड़े अनुयायी, पर्यटक, श्रृद्धालु वर्ष भर आते रहने के दृष्टिगत कपिलवस्तु (जनपद सिद्धार्थनगर) में पर्यटकों की सुविधा एवं आवागमन हेतु हेलीपोर्ट का संचालन की पहल की गयी है। लखनऊ एवं कपिलवस्तु (जनपद सिद्धार्थनगर) में हेलीपोर्ट की सुविधा से देशी-विदेशी पर्यटकों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

और श्रद्धालुओं का आवागमन बेहतर होगा, सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर गतिविधियॉ बढ़ेगी, रोजगार के नये-नये अवसर सृजित होगें और लोगों का आर्थिक उन्नयन होगा।

3. पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-266/2022/आई/158971/41-1099/ 101/2021, दिनांक 25-04-2022 के प्रस्तर-7 में उल्लिखित है कि दिनांक 19-04-2022 को मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार रमाबाई अम्बेडकर स्थल के सामने बना पक्का हेलीपैड स्थल एवं उससे सम्बद्ध अन्य सुविधाओं को कतिपय शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन पर्यटन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किया गया है।

4. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ में स्थित रमाबाई अम्बेडकर स्थल के सामने बना पक्का हेलीपैड स्थल एवं उससे सम्बद्ध अन्य सुविधाओं को एवं कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर में हेलीपोर्ट के संचालन हेतु उक्त परियोजना को निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन पी0पी0पी0 (सार्वजनिक निजी सहभागिता) मोड पर विशेषज्ञ संस्थाओं/निजी निवेशकों को 30 वर्ष की लीज पर देकर विकसित व संचालित किये जाने का निर्णय एतद्द्वारा लिया गया है:-

(1) परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय भार वहन नहीं किया जायेगा।

(2) इस संबंध में प्रचलित सुसंगत नियमों/विधिक नियमों के अधीन सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरांत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त निर्णय के क्रियान्वयन में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत पी0पी0पी0 गाइडलाइन्स-2016 (संशोधित) में प्रख्यापित व्यवस्था के अनुपालन में किसी विचलन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(4) हैलीपोर्ट के विकास एवं संचालन तथा हैलीकाप्टर सेवाओं के संचालन में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; महानिदेशक, नागर विमानन; नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो तथा अन्य सुसंगत नियामक संस्थाओं के सभी मानकों एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) हेलीपोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिस बल (सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा इत्यादि हेतु तैनात) पर वहन होने वाले व्यय का भुगतान सम्बन्धति फर्म/फर्मों के द्वारा किया जायेगा।

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
वित्त विभाग/न्याय विभाग/नियोजन विभाग/औद्योगिक विकास विभाग/राज्य सम्पत्ति विभाग/नागरिक उड्डयन विभाग/गृह विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
7- आयुक्त, बस्ती मण्डल बस्ती।
8- जिलाधिकारी, लखनऊ/बस्ती।
9- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(अश्विनी कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।